...ब्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इजिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में
.5.23	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई उभयपक्षकारान् एवं पक्षकारान के अधिवक्ता गण ने राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है तथा माफिक वाद को स्वीकार कर वाद के पैरा संख्या 12 'ए' के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर वाद डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान् सभी सहमत है। तथा इसी अनुसार हम पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है।	
	प्रार्थीगण ने राजस्थान ~~भू राजस्व~~ काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 एवं धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था की मौजा आकोली में खेत ~~खसरा~~ खसरा संख्या 162 रकबा 8.54 है, खसरा संख्या 167 रकबा 8.57 है, खसरा संख्या 169 रकबा 0.01 है, खसरा संख्या 172 रकबा 0.42 है खसरा संख्या 173 रकबा 5.10 है, खसरा संख्या 184 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 185 रकबा 2.85 हैक्टर खसरा संख्या 188 रकबा 0.95 हैक्टर जुमले रकबा 21.45 हैक्टर चैनाराम पुत्र जोधाराम 1/3 रघुनाथाराम पुत्र जोधा 1/3 हरीराम पुत्र जोधा 1/3 कौम विश्नोई के नाम पुश्तैनी आराजी आयी हुई है। उक्त आराजी हमारे दादा जोधा पुत्र कुम्भा के निर्वसीयत फौत होने पर हमारे पिता चैनाराम एव चैनाराम के भाईयों के नाम दर्ज हुई है। जिस कारण हम वादीगण का नोशनल शेयर अनुसार उक्त आराजी 1/3 हिस्से में 1/4, 1/4 हिस्सा। अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/12 हिस्सा निहित होने [illegible] हमारे पिता चैनाराम की संयुक्त [illegible] की खातेदारी आराजी को मौके पर [illegible] होने पर मौके पर अलग। [illegible] के कारण हम ~~उक्त~~ वादीगण की 1/12, 1/12 हिस्से [illegible] खातेदारी घोषणा एव डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमावें।	
	पत्रावली संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया मौजा आकोली के खसरा संख्या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी चितलवाना)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इजिसियल जज	नम्बर व … अहकाम … हुक्म को … जारी …

162, 167, 169, 172, 173, 184, 185, एव 188 जुमले रकबा 21.45 हैक्टर आराजी जोधा वल्द कुम्भा कौम विश्नोई के फौत होने पर चेनाराम, हरीराम रघुनाथाराम के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण चेनाराम के वारिसान है।

मजमें आम में प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसदारान् के बारे में पुछताछ की गई मजमें आम में उपस्थित मौतबरान् ने प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशदार वादीगण 01 से 03 होना बताया साथ ही उक्त के अलावा अन्य कोई वारिशदार हे. नही होना बताया गया।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 वारिशदारान् होने एव प्रतिवादी के नाम आराजी पैतृक होने तथा प्रति- प्रतिवादीयोके मध्य वाद के पैरा संख्या 12 'ए' के अनुसार राजीनामा होने के कारण मौजा आकोली के खसरा संख्या 162, 167, 169, 172, 173, 184, 185, एव 188 में प्रतिवादीग के नाम 1/12-1/12 की खातेदारी घोषणाकर डिक्री जारी करना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

मौजा आकोली के खसरा संख्या 162 रकबा 3.54, खसरा संख्या 167 रकबा 8.57, खसरा संख्या 169, खसरा संख्या 172 खसरा संख्या 173 रकबा 5.10 है, खसरा संख्या 184 रकबा 0.01 है, खसरा संख्या 185, रकबा 2.85 है, खसरा 188 रकबा 0.95 हैक्टर कुल रकबा 21.45 के सहखातेदार चेनाराम के 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/4-1/4 अर्थात सम्पूर्ण आराजी 1/12-1/12 हिस्सा के खातेदारी घोषणा की ~~जाती~~ जाती है।

डिक्री पर्चा अलग से जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखील हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested